25.11.25 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम गोगा का खेड़ा पटवार हल्का माण्डल-I तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगू पुत्री मगना खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद मे प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 28 की नकल से होती है। प्रार्थीगण अपने पिता का नाम मांगू पुत्री मगना के बजाय मांगू पुत्र गोकल राजस्व रिकार्ड मे अंकित कराना चाहते है, जिसकी ताईद मे प्रस्तुत प्रार्थीगण के पिता का आधार कार्ड एंव अन्य खाता संख्या 33, 41, 46, 44, 32 आदि की फोटो प्रति से होती है। जिसमे प्रार्थीगण के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम मांगु पुत्र गोकल गुर्जर ही है। उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे खाता सं. 28 मे प्रार्थीगण अपने पिता का नाम दर्ज कराना चाहते है।	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रा०पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं, अतः	
	:: आदेश ::	
	प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम गांगा का खेड़ा, पटवार हल्का माण्डल प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माण्डल तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 28 मे अंकित आराजी नम्बर 655, 656, 657, 906, 909, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 9905/679 कुल किता 12 रकबा कुल 3.7814 है० भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगु पुत्री मगना के बजाय मांगु पुत्र गोकल राजस्व रिकार्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल, जि.ला-भीलवाड़ा	